<u>*प्रेस नोट थाना वजीरगंज जिला बदायूं दिनांक 23.11.2023*</u>

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान लखनपुरा (शिवचरन) की सनसनीखेज हत्या का खुलासा, घटना मे शामिल अभियुक्त गिरफ्तार व घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल बांका बरामद।

__मुकदमा का विवरण__..... वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉ0 ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजय प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली सुनील कुमार के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज धर्मेन्द्र सिंह मय टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 541/2023 धारा 302 आईपीसी की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण कर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल (बांका) को बरामद करते हुए घटना कारित करने वाले 1 अभियुक्त नन्हे बाबू पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम लखनपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल बांका बरामद कर जिसके फल पर खून के छींटे लगे है आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

__घटना का संक्षिप्त विवरण__.......... दिनांक 10.11.2023 को प्रातः सूचना मिली कि ग्राम लखनपुरा में ग्राम प्रधान शिवचरन की किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है । जिसके सम्बन्ध मे थाना वजीरगंज पर मृतक के पुत्र कृष्णपाल पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम लखनपुरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 541/2023 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था । घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज को निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम मे अभियुक्त नन्हे बाबू पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम लखनपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ का नाम घटना में प्रकाश में आया । लगातार नन्हे बाबू उपरोक्त को तलाश किया जा रहा था और दबिश दी जा रही थी अथक प्रयास के बाद आज दिनांक 23.11.23 को अभियुक्त नन्हे बाबू पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम लखनपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को मूसेपुर पुल से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त नन्हे बाबू ने पूछने पर बताया कि शिवचरन प्रधान ने मेरे खेत में करीब 30 दिन पहले चकरोड निकलवा दिया था जबकि मैं उस खेत को 20–25 साल से जोत रहा था और मेरे घर के सामने जहाँ मेरी भैंस बंधती है वहाँ भी रास्ता निकलवाना चाहता था मुझे प्रधान शिवचरन से काफी दिनो से परेशानी हो रही थी इसी वजह से मैने दिनांक 9.11.23 की रात में समय करीब 12 बजे शिवचरन प्रधान के घर के बाहर वाले कमरे में जिसमें दरवाजा नही था उसमे शिवचरन सो रहा था मैने शिवचरन के चेहरे और सिर पर बांके से दो वार करके मार दिया था जब मैं दरवाजे से निकल रहा था तभी शिवचरन का छोटा लडका राकेश वहाँ आ गया था और मुझे देखकर रोकने की कोशिश की तभी मैने उसको धमकाया और मैं मौके से भागकर खेतो की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में तोताराम पुत्र

हेतराम अपने घर के सामने पेशाब कर रहा था उसने भी मुझे टोका तो मै बिना कुछ बोले खेतो की तरफ चला गया था । जिस बांके से मैने शिवचरन प्रधान की हत्या की थी उसको मै अपने गांव से शमशान की तरफ जाने वाले रास्ते में बच्चन पुत्र एकराम की बटिया(बिटौरा) के पास झाडी मे छिपाकर चला गया था । आज सुबह मैं मूसेपुर पुल पर वाहन का इंतजार कर रहा था क्योकिं पुलिस मुझे तलाश कर रही थी तो मैं कही दूर जाकर छिपना चाह रहा था । तभी पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. नन्हे बाबू पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम लखनपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ ।

बरामदगी का विवरण- एक आलाकत्ल बांका ।

***आपराधिक इतिहास अभियुक्त नन्हे**-*

1.मु0अ0सं0 541/2023 धारा 302 भादवि थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*

1.प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह थाना वजीरगंज
2.उ0नि0 सुनील कुमार थाना वजीरगंज
3.उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना वजीरगंज
4.हे0का0 244 रफीक अहमद थाना वजीरगंज
5.का0 1368 अंकित कुमार थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सेल
जनपद बदायूं ।